न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –11/2022(2022/00022)

अनवान : –

सतवीर पुत्र प्रभुदयाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. प्रभुदयाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. राजेश पुत्र प्रभुदयाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. सरोज पुत्री प्रभुदयाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा निनाण जरिये शाखा प्रबंधक शाखा निनाण
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री सुभाष शर्मा वादी
श्री सतवीर पूनियां प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 01/04/2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 एएमएस सम्वत 2074–77 के वर्तमान खाता संख्या 128/82 के मुरब्बा न0 23 के किला न0 11, 12, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, मुरब्बा नम्बर 25 के किला न0 16 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23 मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2, 3/1, 8/1, 9, 10/1, 10/2 इस प्रकार कुल किता 26 की कुल 5.1120 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुदयाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्योकरण की खातेदारी हुआ करती थी। श्योकरण से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी प्रभुदयाल ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी प्रभुदयाल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि

तन्हा प्रतिवादी प्रभुदयाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुदयाल को वादी के दादा श्योकरण से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी चक 10 एएमएस सम्वत 2062–65 के खाता संख्या 73/65 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क कर शून्य कर लिया है।

साक्ष्य वादी में वादी सतवीर पुत्र प्रभुदयाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 10 एएमएस सम्वत 2074–77 खाता संख्या 128/82 प्रदर्श 1 व जमाबन्दी चक 10 एएमएस सम्वत 2062–65 खाता संख्या 73/65 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 10 एएमएस सम्वत 2074–77 के वर्तमान खाता संख्या 128/82 के मुरब्बा न0 23 के किला न0 11, 12, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, मुरब्बा नम्बर 25 के किला न0 16 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23 मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2, 3/1, 8/1, 9, 10/1, 10/2 इस प्रकार कुल किता 26 की कुल 5.1120 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुदयाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 सं0 11/22 अनुवान सतवीर बनाम प्रभुदयाल आदि धारा 88 आरटीएक्ट

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 एएमएस सम्वत 2074–77 के वर्तमान खाता संख्या 128/82 के मुरब्बा न0 23 के किला न0 11, 12, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, मुरब्बा नम्बर 25 के किला न0 16 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23 मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2, 3/1, 8/1, 9, 10/1, 10/2 इस प्रकार कुल किता 26 की कुल 5.1120 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुदयाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, **उसमें वादी सतवीर व प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुदयाल, प्रतिवादी संख्या 2 राजेश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में अपना सम्पूर्ण हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/04/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –11/2022(2022/00022)

अनवान : –

सतवीर पुत्र प्रभुदयाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. प्रभुदयाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. राजेश पुत्र प्रभुदयाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. सरोज पुत्री प्रभुदयाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा निनाण जरिये शाखा प्रबंधक शाखा निनाण
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री सतवीर पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 एएमएस सम्वत 2074–77 के वर्तमान खाता संख्या 128/82 के मुर्रब्बा न0 23 के किला न0 11, 12, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, मुरब्बा नम्बर 25 के किला न0 16 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23 मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2, 3/1, 8/1, 9, 10/1, 10/2 इस प्रकार कुल किता 26 की कुल 5.1120 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुदयाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, **उसमें वादी सतवीर व प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुदयाल, प्रतिवादी संख्या 2 राजेश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में अपना सम्पूर्ण हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/04/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)